

लोकअदालत

सत्र-2015

मदस्त सं०:-

आदेश फलक :-

विविध वाद सं०

229 / 2017

दं० प्र० सं० 107

मिाला देवी बनाम पार्वती देवी

वाद लग्बित अन्तर्गत न्यायालय

अनुमंडल दादाधिकारी सकर

आदेश की तिथि

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभियुक्ति

8.12.18

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।
विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतित होता है कि दोनों
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतित होता है । अतः
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।

सदस्य
8/12/18

सदस्य